



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 201]
No. 201]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 8, 1989/चैत्र 18, 1911
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 8, 1989/CHAITRA 18, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1989

का. आ. 272 (अ):—इस विभाग की प्रधिसूचना सं. एन. डी. 878 (ई) दिनांक 19 अक्टूबर,
1988 के क्रम में, जिसमें प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए पेनल गठित किया गया था, यह निर्बंध किया गया है कि

डा. जे. गुरुगजा, मन्नाह्वार, सैर-परम्परागत तथा ऊर्जा स्रोत विभाग, नई दिल्ली को पैनल के एक सदस्य के रूप में नामजब किया जाए।

[सं. एक. 9-19/88-प्रौ. जि. I]

एल. मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 1989

S.O. 272(E) :—In continuation of this Department's Notification No. S.O. 873(E) dated 19th September, 1988 constituting the Panel for Technology Demonstration, it has been decided to nominate Dr. J. Gururaja, Advisor, Department of Non-conventional and Energy Sources, New Delhi as a member of the Panel.

[No. F. 9-19/88-AE-1]

L. MISHRA, Jt. Secy.